

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- [moef.ddn@gov.in](mailto:moef.ddn@gov.in)

पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/७६/२०२०/एफ०सी० 770

दिनांक: 29/07/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

**विषय :** जनपद - चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०७ (पुराना एन०एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन । (Online no FP/UK/Road/39349/2019)

**संदर्भ:** अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड भासन के पत्रांक 153/FP/UK/Road/39349/2019 दिनांक 16.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/39349/2019 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 24, जुलाई 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार - जनपद - चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-०७ (पुराना एन०एच०-५८) के कि०मी० ३९९.००० से कि०मी० ४६०.००० में मौजूदा सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु ४०.८९१६ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु MORTH (NHIDCL) को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-


1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**  
क ) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 81.7832 हे० अवनत वन भूमि (देवसारी प्रथम क०न० 8 में 7.50 हे०, देवसारी द्वितीय क०न० 10 बी में 5 हे०, देवसारी द्वितीय क०न० 1 में 10 हे०, कुंजाकोट प्रथम क०न० 7अ में 15हे०, नवाली चतुर्थ क०न० 1बी में 3 हे०, नवाली चतुर्थ क०न० 6अ में 5 हे०, नवाली पंचम क०न० 1अ पेच 2 में 11.10 हे०, Maikhanda 2 क०न० 3बी 16.00 हे०, नवाली पंचम क०न० 9 में 6 हे०, नवाली पंचम क०न० 1 बी में 4 हे०) प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित की गई है। राज्य सरकार condition no. 8 के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 55 हे० अन्य क्षेत्र चयनित करेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।  
ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**  
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 40.8916 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

29/07/2020



(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 3457 trees including 1975 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. It will be the responsibility of the State Govt. / User agency for strict compliance of the decision/conditions/suggestions imposed by the High Powered Committee (HPC) constituted by the MoEF&CC as per the direction of Hon'ble Supreme Court Order dated 08.08.2019 in M.A Nos. 2678-2680 of 2018 in Civil Appeal Nos. 8518-8520 of 2018 And Contempt Petition (c) No. 423 of 2019 in Civil Appeal No. 10930 of 2018.
- 8- As per DSS analysis of CA area, 14 ha area found in VDF and 41 ha in MDF. State Government may replace this area with some other suitable area for CA ensuring that no VDF/ MDF falls in that area.
- 9- State Government may upload/submit the Village Level Committee meeting proceedings for village Kuhaid.
- 10- REC noticed that only one page muck disposal plan found uploaded mentioning calculation of muck. State Government may submit the Muck Disposal Plan duly authenticated by DFO providing the details of muck likely to be generated, muck proposed to be utilized, balance muck for disposal at identified muck disposal sited, swell factor etc. The carrying capacity of the Muck Dumping sites proposed along with safety measure and rehabilitation/ eco-restoration plan and distance from river is also required to be intimated.
- 11- State Government may upload the NPV calculation sheet at online portal.
- 12- Total length of the road is 61.00 km (Km 399.00 to km 460.00) but widening of road is proposed over 23.562 km in forest land (i.e. RF & Civil Soyam). State Govt. may clarify the widening proposed over balance length and legal status of this balance area.
- 13- Abstract uploaded online showing details of project affected trees is not clear. The name of the area i.e. RF, Civil Soyam, Van Panchyat etc. is required to be mentioned in the abstract. State Government may also provide the correct scientific names of the trees at para-4 of Part II online.
- 14- One of the CA estimate(s) is prepared for 28.00 ha but the area of the RF compmts mentioned in CA estimate comes to 25.00 ha only. Perhaps the name of Navali-IV compmt. No. 1 b (area 3.00) has been dropped by mistake. State Government may do the needful in this regard.
- 15- The CA cost norms applied in the CA estimate of 16.00 ha of Ukhimath Range area different from the cost norms applied in other 3 estimates of 66.00 ha. State Government may submit/upload the CA estimate calculated as per the current cost norm.
- 16- Name of the Navali-IV compmt. No. 1 b is not mentioned in the CA site suitability certificate. State Government may submit/ upload the CA site suitability certificate for Navali-IV compmt. No. 1 b CA area.
- 17- State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
18. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
19. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन-संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
21. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

  
28/07/20

24. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
26. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
27. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
28. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
29. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
30. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
31. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
32. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
33. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
34. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
35. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,



(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:**

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।



(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

